



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठारीन अधिकारी - सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या :- 27/2025

रामअवतार पुत्र रामखिलाडी जाति धोबी निवासी पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा

दर्ज तिथि:- 11.03.2025

.....वादी

बनाम

1. नत्थाराम पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी पाटोली तहसील महवा जिला दौसा
2. बद्री पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी पाटोली तहसील महवा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा

उपस्थित:-

वादी अधिवक्ता:- श्री भंवर सिंह

प्रतिवादी अधिवक्ता:- श्री सी०एल० बैरवा (प्रतिवादी संख्या 01 व 02)

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:: पर्चा डिक्री ::-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रजात प्रस्ताव अन्तिम रूप से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (हे०)	किस्म	लगान
1	रामअवतार पुत्र रामखिलाडी हि. 94/105 जाति-धोबी सा. पीपलखेडा तह. महवा. खातेदार	273/1	0.235	चाही 2	6.82
	योग	किता 01	0.235	चाही 2	6.82
2	नत्थाराम पुत्र मांगीलाल हि. 11/46 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	273/2	0.115	चाही 2	3.33
	बद्री पुत्र मांगीलाल हि. 35/46 जाति बैरवा सा. देह खातेदार				
	योग	किता 01	0.115	चाही 2	3.33

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की गई।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Mansha
(मनीषा रेशम, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी महवा
उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)